

राजस्थान सरकार  
पर्यटन विभाग

क्रमांक: संस्था/एफ.1(28)पवि/1993-02763/

जयपुर, दिनांक :As e-signed

**—: आदेश :—**

श्री भानुप्रताप, जो पर्यटन विभाग में उप निदेशक, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, जोधपुर के पद पर, पर्यटन राज्य सेवा में कार्यरत है, को अधिवार्षिकी आयु (Age of Superannuation) प्राप्त करने उपरान्त दिनांक 31.08.2026 से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री भानुप्रताप, उप निदेशक के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 एवं 17 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
3. कोई एफ.आई.आर./व्यक्तिगत जांच (PE)/शिकायत तथा न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।

आज्ञासे,

(सुरेश कुमार बुनकर)  
शासन उप सचिव

क्रमांक: संस्था/एफ.1(28)पवि/1993-02763/

दिनांक : As e-signed

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग, राज., जयपुर।
2. आयुक्त, पर्यटन विभाग, राज., जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज., जयपुर।
5. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज., जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, पर्यटन विभाग, जयपुर।
7. संबंधित कोषाधिकारी.....।
8. उप निदेशक, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, जोधपुर।
9. एसीपी (उप निदेशक), पर्यटन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
10. लेखा शाखा, निदेशालय पर्यटन विभाग, जयपुर।
11. श्री भानुप्रताप, उप निदेशक, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, जोधपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव